

दि 24/7/24
पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप.। तलबी/अ.
दस्तावेजात/साक्ष्य/बहस हेतु समय चाहा अतः पत्रा
वास्ते पत्रा हेतु दिनांक 2/8/24 को पेश

A
उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ

2/8/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप.। उन्नी प्रा. फा
अन्तर्गत धारा 212 पर बहस सुनी गई। पत्रावली
वास्ते प्रा. फा 212 पर आदेश हेतु दि. 31/9/24
को पेश हो।

(A)
उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

138/2011

1/9/24

शमिश्वर / इमरान

पत्रावली पेश हुई। मूल वाद में प्रति-आरा पेश
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश न-111 CPC का स्वीकार
होकर मूल वाद खारिज होने से उक्त प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 212 को आदेश करने का कोई
औचित्य नहीं होने से इसी स्वरूप खारिज किया
जाता है। पत्रावली फे. यु. होकर नम्बर सेकम हो।

(A)
उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)